

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 557 आउशि/व-वो./08

रायपुर, दिनांक 11/7/08

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय,
तमनार, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)।

विषय :- तमनार, जिला - रायगढ़ में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 27/2008/38-1 रायपुर
दिनांक 03.07.2008

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार तमनार, जिला - रायगढ़ में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2008-09 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 अस्थाई पदों के सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की यू. ओ. क्रमांक 293/2008/वजट - 3/चार, दिनांक 01.07.2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1.	प्राचार्य, स्नातक	01	12000 - 18300
2.	सहायक प्राध्यापक (अ) विज्ञान संकाय (दायामुप) ✓ (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति, भौतिकशास्त्र गणित)	05	8000 - 13500
	(ब) वाणिज्य संकाय	01	8000 - 13500
	(स) कला संकाय (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान,)	04	8000 - 13500
अशैक्षणिक पद			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	4000 - 6000
4.	सहायक ग्रेड - 1	01	4500 - 7000
5.	सहायक ग्रेड - 2	01	4000 - 6000
6.	सहायक ग्रेड - 3	01	3050 - 4590
7.	भृत्य	02	2550 - 3200
		योग :-	19



उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 में मांग संख्या-41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -2202-प्रमान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, -103-सरकारी कॉलेज और संस्थाएं - (0102)-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - (798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

photo copy attached.

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

Place

PRINCIPAL

Govt. Arts, Sc. & Comm. College
Bhambhalingarh, Dist. Raigarh (C.G.)

तिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
6. कलेक्टर, जिला - रायगढ़।
7. कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, धरमजयगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने के आदेश तत्काल जारी कर पालन प्रतिवेदन की प्रति संचालनालय को उपलब्ध करावें।
8. संयुक्त संचालक, (राज.रथा./अराज. रथा.) उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
9. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़ (प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय तमनार का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है तदनुसार प्रवेश की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें)
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला - रायगढ़।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

photo copy Attested

[Signature]
PRINCIPAL
Govt. Arts, Sc. & Com. College
Dharamajygarh, Dist. Raigarh (C.G.)

[Signature]
अध्यक्ष संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-36/2015/38-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06/10/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

विषय- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- आपकी नस्ती क्रमांक न 441/अप.संचा./15, दिनांक 28-05-2015

राज्य शासन, एतद् द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में प्रावधान अनुसार प्रदेश के निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के 150 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतनमान	पद संख्या
1	मांग संख्या-44 2202-(03)-0101- (103)-798	शासकीय कन्या महाविद्यालय महासमुन्द, जिला महासमुन्द	5200+20200+1800	
2		शासकीय महाविद्यालय देवभोग, जिला गरिगावन्द	5200+20200+1800	
3		शासकीय महाविद्यालय सर्कि, जिला जाजगीर चांपा	5200+20200+1800	
4		शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ, जिला रायगढ	5200+20200+1800	
5		शासकीय महाविद्यालय गुरुर, जिला बालोद	5200+20200+1800	
6		शासकीय महाविद्यालय बोडला, जिला राजनांदगाव	5200+20200+1800	
7		शासकीय महाविद्यालय धरला, जिला धमतरी	5200+20200+1800	
8		शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला जाजगीर चांपा	5200+20200+1800	
9		शासकीय महाविद्यालय भखारा, जिला धमतरी	5200+20200+1800	
10		शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद	5200+20200+1800	

34		शासकीय कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	5200+20200+1800	02
35		शासकीय महाविद्यालय जैजपुर जिला जांजगीर चापा	5200+20200+1800	02
36	मांग संख्या 64	शासकीय महाविद्यालय हरीद जिला जांजगीर चापा	5200+20200+1800	02
37	-2202-(03)-	शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर	5200+20200+1800	02
38	0103-(103)-798	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार	5200+20200+1800	01
39		शासकीय नवीन महाविद्यालय धामगढ़, जिला जांजगीर चापा	5200+20200+1800	02
40		शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर (सेतगंगा) जिला मुंगली	5200+20200+1800	01
41		शासकीय महाविद्यालय नवागढ़, जिला जांजगीर चापा	5200+20200+1800	01
42		शासकीय महाविद्यालय बीजापुर, जिला बीजापुर	5200+20200+1800	01
43	मांग संख्या-41	शासकीय महाविद्यालय केशकाल, जिला कोण्डागांव	5200+20200+1800	02
44	-2202-(03)-	शासकीय महाविद्यालय अतागढ़, जिला कांकर	5200+20200+1800	01
45	0102-(103)-798	शासकीय महाविद्यालय उदयपुर, जिला सरगुजा	5200+20200+1800	01
46		शासकीय महाविद्यालय डौंडी, जिला बालोद	5200+20200+1800	01
47		शासकीय महाविद्यालय डौंडी लोहारा, जिला बालोद	5200+20200+1800	02
48		शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला बिलासपुर	5200+20200+1800	01
49		शासकीय महाविद्यालय मोहला, जिला राजनादगांव	5200+20200+1800	01
50		शासकीय महाविद्यालय बगीचा, जिला जशपुर	5200+20200+1800	01
51	मांग संख्या-41	शासकीय कन्या महाविद्यालय दन्तवाडा, जिला दन्तवाडा	5200+20200+1800	01
52	-2202-(03)-	शासकीय कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	5200+20200+1800	01
53	0102-(103)-798	शासकीय महाविद्यालय जनकपुर, जिला कोरिया	5200+20200+1800	01
54		शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला रायगढ़	5200+20200+1800	01
55		शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला सूरजपुर	5200+20200+1800	01

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
संभ्रालय-
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-44/16/38-1

रायपुर, दिनांक 12/08/2016

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- मुख्य बजट वर्ष 2016-17 में प्राक्धान अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पद सृजन की स्वीकृति।
संदर्भ :- आपकी टीप क्रमांक 11/आ.उ.शि/योजना 2016।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, बजट वर्ष 2016-17 में मांग संख्या क्रमांक 44, 41 एवं 64 अंतर्गत प्राक्धान अनुसार निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में निम्नानुसार स्नातक स्तर पर उनके लक्षादशाएँ मातृयक्रम/नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने तथा सहायक प्राध्यापक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. मांग संख्या 44 :-

1	महाविद्यालय का नाम	मातृयक्रम	विषय	सहायक प्राध्यापक	सृजित पद प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	भारत गृहीत समूह महाविद्यालय, सुकना जिला सुकना	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्रयोगशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
2	सारा महाविद्यालय, सहस्रपुर जिला कबीरपुत्र	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्रयोगशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
3	भारत गृहीत समूह महाविद्यालय, सहस्रपुर जिला मुंगेली	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्रयोगशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
4	भारत गृहीत समूह महाविद्यालय, बलीदाबाजार जिला बल्लारपुर	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्रयोगशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2

श्री जयदेवी
वि. वि. महाविद्यालय
भारत गृहीत समूह

14

निदेश

1/5/11

1	श्री. कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर जिला-बुलडाणा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1	2	2
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
2	श्री. कालीदास महाविद्यालय, बुलडाणा जिला-जयपुर	बी.एस.सी.	गणित	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
3	श्री. नरेश महाविद्यालय, जयपुर जिला-गदियाबाद	बी.एस.सी.	प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1	1	1
4	श्री. महाविद्यालय, जयपुर जिला-बाजगाँव	बी.एस.सी.	गणित	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
5	श्री. श्री. गिरि महाविद्यालय, जयपुर जिला-काली	बी.एस.सी.	वणिज्य	3		
6	श्री. महाविद्यालय, जयपुर जिला-जयपुर	बी.ए.	संगीत	1		
7	श्री. महाविद्यालय, जयपुर जिला-समुदाय	बी.ए.	संगीत	1		
8	श्री. महाविद्यालय, जयपुर जिला-समुदाय	बी.ए.	इतिहास	1		
9	श्री. महाविद्यालय, जयपुर जिला-समुदाय	बी.ए.	इतिहास	1		
कुल:-				48	10	10

उपरोक्तानुसार नोट संख्या 41 के अंतर्गत कुल 21 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विभिन्न विषय प्रदान करने हेतु कुल 46 स्नातक प्राध्यापक, 10 प्रयोगशाला तकनीकीयक एवं 10 प्रयोगशाला परिचारक के पदों को सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त पदों के सृजन पर अभी वाले धारा 41-अनुसूचित जनजाति न्यूनता-7702 सामान्य श्रेणी-03-विश्वविद्यालय और उच्च श्रेणी-0102-अनुसूचित जनजाति न्यूनता-103 सरकारी कालेज और सरकारी-798-कला विद्यालय तथा वणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति उपस्थित पद के अंतर्गत विद्यमान होगा।


निदेश

कलीसाद शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी घाट, नया रायपुर

आदेश :-

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-34/2017/29-1 के अन्तर्गत (तद्विषय) कलीसाद लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31/12/2017 द्वारा चयन सहायक प्राध्यापक (हिंदी) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने के लिये सहायक प्राध्यापक (हिंदी) के पद पर चयन के लिये क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31/12/2017 के पत्र पर उक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 31/12/2017 को प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा का प्रारम्भिक (Provisional) रूप से निम्नलिखित स्थानों में चयन सिद्ध करने का आदेश है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन क्रमांक
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह आ श्री माधव सिंह ग्राम समितियाँ पो सरैया नं 1 जिला-बलरामपुर जिला-बाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय राजपुर जिला बलरामपुर	118
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवत वाडें 26 नहर कासिम के पास बलरामपुर उ.प्र. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमना बलरामपुर	119
3	अर्पणा गीतम आ श्री एसएस मीना आफिस के सामने गणपति का मंदिर सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर उ.प्र. 495101	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	120
4	श्री सन्त कुमार आ श्री सी पी सलका नवागांव धरना जिला-बलरामपुर उ.प्र. 495113	नदी-शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	121
5	श्री राजीव यादव आ श्री 345ई ब्रह्मपुत्र (अग्रमंस) आ विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110066	नदी-शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	122
6	नर्मता पाण्डेय आ श्री प्रवीण नगर सत्या मेडिकल स्टोर बिरकोना रोड सरकण्डा बिलासपुर उ.प्र. 495101	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	123
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहास चौराहा रक्षपालपुर खखरेस 212656	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	124
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ श्री संजय, मु.पो. बिखली धामा रायमंड उ.प्र. 496100	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	125
9	श्री विनय कुमार देवांगन आ श्री मक 6 वाडें डोगरीपास के पास नदी कोण्डागांव उ.प्र. 494226	नदी-शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	126
10	प्रायल लिलहारे पति श्री 398/4 बजरंग कौलोनी नदी जबलपुर म.प्र. 482001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलरामपुर	127
11	विजय लक्ष्मी सोड पति श्री द्वारा श्री अश्विनी डकराल सोड निकट साईंमंदिर अमरोहा उ.प्र.	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर	128

58	श्री विनय कुमार सनमानी आ श्री लक्ष्मण साई ग्राम सराईबध पो.धाना फरसाबहार तह.कासगंज जिला- जशपुर छ.ग. 496242	शासकीय स्नातकोत्तर अभिकापुर	राजीवगांधी महाविद्यालय	ST
59	श्री अशोक कुमार नेताम आ श्री सुखराम नेताम ग्राम पो.कौरावाही तह.माकडी जिला.कोण्डागांव छ.ग. 494229	शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल	अरविन्द	ST
60	श्री उत्तरा कुमार सिदार आ श्री बशीरलाल सिदार ग्राम पो.कोटा हरदी धाना कोतरा रोड जिला रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय दुलदुला	महाविद्यालय	ST
61	श्री दीनदयाल दिल्लीवार स्व.डॉ. तेजराम दिल्लीवार C/O श्री सी.के.बारसागढ़ बाजार चौक सिकोसा तह.गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग. 491222	शास. महाविद्यालय, बालोद जिला- बालोद		OBC-OH
62	श्री विष्णु राम ठाकुर आ श्री बालाराम ठाकुर ग्राम पो.बलोदा तह.सराईपाली जिला-महासमुद छ.ग. 493558	शासकीय महाविद्यालय, तपकश	नवीन	ST
63	श्री रमेश कुमार खरवार आ श्री दाता राम खरवार ग्राम पो.धौरपुर वि.ख.तह.लुण्डा जिला सरगुजा छ.ग. 497101	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज	लरगसाय	ST
64	श्री राधिक कुमर धुव आ श्री ईश्वर राम धुव ग्राम बोडरा पो.डाही तह.जिला धमतरी छ.ग. 493773	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव	गुडाधुर	ST
65	श्रीमती घम्पा मरकाम पति श्री फारसूराम मरकाम ग्राम पो.तह. माकडी प्लॉटपारा जिला कोण्डागांव छ.ग. 494237	नवीन महाविद्यालय, फरसागंज	शासकीय	ST-F
66	श्रीमती सुसन्ना लकड़ा पति श्री शैलेंद्र लकड़ा शिवाजीनगर दलदल सिवनी विकटेश स्कूल के पास पो.सडडू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय चौबे महाविद्यालय, गंडई	स्व. देवीप्रसाद	ST-F
67	श्री जसराम नायक आ श्री देवनाथ नायक ग्राम कोटेरा,पो. सम्बलपुर तह.डोडीलोडारा जिला बालोद छ.ग. 491771	शासकीय गुप्त महाविद्यालय, बालोद	घनश्याम सिंह	ST
68	प्रेमा कुमारी कुजूर पति श्री अन्धेश कैरकंटा न. 5/584 अयोध्यानगर सिंगरोडा 2 नेहकनगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. जिला कवर्धा	सहसपुर लोहारा	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी -

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में धी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता सबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारी अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा सबंधी मुद्दे शासकीय सेवाओं को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1981 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण सबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ.ग. लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लिखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश्वर यादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/03/2022

क्रमांक एफ 1-42/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 10.08.2021 को सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	06
01	01	सुश्री सरिता पटेल बी-162, रामाग्रीन सिटी, खमताराई रोड, थाना - सरकण्डा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	OBC	शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी, जिला-बिलासपुर
02	03	सुश्री शानु अग्रवाल मकान नं.12, वार्ड क्र.10, खरीपारा पोस्ट - बरपाली कला, थाना नगरदा, तह.सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.), पिन - 495689	UR	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरीद, जिला-जांजगीर चांपा
03	15	श्री आरिफा परवीन मुक्तिधाम रोड नैला, वार्ड नं.04, तह. जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	UR	शासकीय डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा
04	17	श्री खीरसागर पटेल मकान नं.49/ख, स्कूल पारा, डोमाडीह 'अ' पोस्ट-मल्दा 'ब', तह. -सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496551	OBC	शासकीय महाविद्यालय बलरागपुर, जिला-बलरागपुर

32	82	सुश्री रश्मि नाग, जगदलपुर, थाना जगदलपुर, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, लालबाग जिला बस्तर (छ.ग.)	ST	शासकीय इंदरु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर जिला-कांकेर
33	89	सुश्री पुष्पलता बेहरा, म.नं. 387 ग्राम एवं पो. तमनार, थाना तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)) पिन 496107	OBC	शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला-रायगढ़
34	90	सुश्री चित्रांग्धा सिंह मरावी, म.नं. 24 भवानी गली, हरदी कला सडक थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	ST	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा, जिला-बिलासपुर


2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
- शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
- अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

//////

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 1-42/2021/38-1.

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/03/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1788/01/चयन/2020/12, दिनांक 25.08.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर संभाग, (छ.ग.),
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित कलेक्टर,
08. क्षेत्रीय अपर संचालक,
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
11. संबंधित समस्त प्राचार्य

आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,

12. संबंधित अभ्यर्थी

13. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय :-

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

— 0 —

सशोधन आदेश :-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22/03/2022


क्रमांक एफ 1-32/2021/38-1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.2022 के सरल क्र. 01 में श्री विनायक साहू को सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर में पदस्थ किया गया है। उक्त के स्थान पर सशोधन करते हुए श्री साहू को शासकीय आदेश महाविद्यालय रायपुर जिला रायपुर में पदस्थ किया जाता है।

2/ इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.2022 के सरल क्र. 62 में सुश्री जयंती सिदार को सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर शासकीय आदेश महाविद्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। उक्त के स्थान पर सशोधन करते हुए सुश्री सिदार को शासकीय नवीन महाविद्यालय तमनार जिला रायगढ़ में पदस्थ किया जाता है।

3/ इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.2022 के सरल क्र. 71 में श्री सतोप कुमार हरिया को सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर शासकीय महाविद्यालय दोरथा जिला बालोद में पदस्थ किया गया है। उक्त के स्थान पर सशोधन करते हुए श्री हरिया को शासकीय आचार्य पंथ श्री गामुनि राग साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवधा जिला कबीरघाम में पदस्थ किया जाता है।

4/ शेष नियम एवं शर्तें इस विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2022 के अनुसार यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(हिना अनिमेष नेताम)
संयुक्त सचिव


छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

1/2/1

पृ. क्रमांक एफ 1-32/2021/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपि :-

01. उपपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय, महामंत्री भवन, नवा रायपुर अटल नगर
 02. महासचिव, रायपुर, उत्तराखण्ड
 03. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके ध्यान क्रमांक 847/01/मान/2020/07, दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में
 04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर छ.ग.
 05. आयुक्त, रायपुर/बस्तर/जिलारायपुर/दुम कासग (छ.ग.)
 06. संचालक, कोच लक्षा एवं वीक्षण इकाई, नवा रायपुर अटल नगर
 07. संबंधित कलेक्टर
 08. क्षेत्रीय स्तर संचालक
 09. जननीय उच्च शिक्षा मंत्री के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. संबंधित जिला कार्यपालक अधिकारी
 11. संबंधित प्रत्याय
आदेशानुसार सूची संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने को पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र/अनुमति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संपूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रत अगिलेख हेतु रखे
 12. संबंधित अभ्यर्थी
 13. आदेश फाइल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्घवित।


संयुक्त सचिव
छ.ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10/03/2022

क्रमांक एफ 1-40/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 06.08.2021 को सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
01	03	04	05
01	श्री दीपक वर्मा, वार्ड नं.-19, ग्राम व पोस्ट-ढारा, थाना व तहसील- डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, पिन नं. -491445 (छ.ग.)	OBC	शासकीय रानी अवंती बाई महाविद्यालय धुमका, जिला-राजनांदगांव
02	सुश्री प्रियांकी गजभिये, बसंतपुर वार्ड नं.-43, बुद्ध विहार शीतला मंदिर के पास राजनांदगांव, पिन नं.-491441 (छ.ग.)	UR	शासकीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
03	श्री राकेश कुमार चन्देल, म.क.-68, ग्राम टाटावाही, पोस्ट-सूरजपुर, थाना-सूरजपुरा, जिला-कबीरधाम, (छ.ग.)	OBC	शासकीय आचार्य पंथ श्री गंधमूनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला-कबीरधाम
04	श्री आकाश बाघमारे, म.क.-1585, वार्ड क.-23, सरस्वती नगर थाना-कोटा, रायपुर, पिन नं. -402010 (छ.ग.)	OBC	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम, जिला-गरियाबंद

13	श्री भोजराम, एम.आई.जी.-02, 473 सेक्टर 2, डीडी नगर, रायपुर, पिन नं. -492010 (छ.ग.)	OBC	शासकीय महाविद्यालय साजा, जिला-बेमेतरा
14	श्री आशीष कुमार, ग्राम व पोस्ट-बारगांव, तहसील व थाना बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.), पिन नं.-491332	OBC	शासकीय वीरांगना अवंति बाई महाविद्यालय छुईखदान, जिला-राजनांदगांव
15	श्री राधेश्याम पटेल, मुकाम व पोस्ट-बोंदा, थाना-सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.), पिन नं.-493558	OBC	शासकीय राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय सराईपाली, जिला-महासमुंद
16	श्री अमृत सिंह कंवर, ग्राम-पघपेड़ी, पोस्ट-सुहागपुर, झाया-चापा, तहसील-करतला, थाना उरगा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	ST	शासकीय डॉ. भंवर सिंह पोर्त महाविद्यालय पेण्ड्रा, जिला-गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही
17	श्री गौतम सारथी, क्वाटर नं.-जी-6, जेल कॉलोनी, केन्द्रीय जेल रायपुर, थाना-गंज, जिला-रायपुर (छ.ग.)	SC	शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला-रायगढ़
18	श्री धनंजय कुमार हिरवानी, ग्राम-पोलमी (दर्पापारा), थाना व तहसील-पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.), पिन नं.-495442	SC	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
19	सुश्री यशोदा, प्रभु निवास स्कूल के पास, रेल्वे स्टेशन पारा, औद्योगिक वार्ड-59, धमतरी (छ.ग.), पिन नं.-493773	OBC	शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी
20	श्री सचिन कुमार, म.क्र. 276, ग्राम व पोस्ट-एरमसाही, थाना-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.), पिन नं.-495550	SC	शासकीय नवीन महाविद्यालय जैजैपुर, जिला-जांजगीर-घांपा
21	श्री प्रदीप कुमार खरे, ग्राम-रामाखुज्जी, पोस्ट-संजारी, थाना-देवरी, विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)	ST	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद

कमश.....

//8//

पृ. क्रमांक एफ 1-40/2021/38-1.

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10/03/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1592/01/चयन/2020/10, दिनांक 12.08.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर संभाग, (छ.ग.),
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित कलेक्टर,
08. क्षेत्रीय अपर संचालक,
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
11. संबंधित समस्त प्राचार्य

परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखें।

12. संबंधित अभ्यर्थी

13. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मुख्यालय
महानदी बस्ती, नया रायपुर जिला नगर,
0
आदेश

नया रायपुर जिला नगर दिनांक 21/01/2022

क्रमांक एफ. 1-33/2021/38-1 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विहित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 06.07.2021 को सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर नियुक्ति हेतु व्ययमित (भर्ती परीक्षा 2019) विभन अन्तर्धी को कार्यभार ब्रह्म करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगाभी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 पे प्रासंगिक वेतन रूपी 57,700/- तथा समय समय पर देय महंगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की वारिगीक्षा पर नियुक्त करती हुए उनके नाम के सम्बन्ध खाना 5 में सुन्वेदिता स्थान पर फररुष्य विद्या ज्ञाना से

सि क्र.	व्ययित सूची का क्र.	नाम	वर्गी	प्रस्तावित पदस्थानका स्थल
01	02	03	04	05
01	01	श्री विजय कुमार साहू पता- ग्राम-कोदण्ड, खाना-कांकर तह-जिला- राय, काणेर (छ.ग.) पिन-494334	OBC	शासकीय आदर्श महाविद्यालय कांकर
02	04	श्री आदेश गोयल पता- द्वारा महारा जयल, सड़ली तालुका के सामने, डभरा रोड खरसिया, जिला- रायगड (छ.ग.) पिन-494400	UR	शासकीय स्नातक प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय रायगड
03	05	सुश्री पद्मा सोमनाथे पता- द्वारा श्री महेश सोमनाथे जी-12, न्याई विला भाटागाव रायपुर (छ.ग.) पिन 492013	OBC*	श्री विद्वाना कोरल शासकीय महाविद्यालय जयपुरी, जिला-दुरी
04	06	सुश्री हर्षा देवानी पता- खाना सीटी कोलकाली, गौताजली नगर गली न 04 कृष्ण कॉलोनी पुराना बस स्टैण्ड के पास विलासपुर (छ.ग.)	UR	शासकीय स्नातक महाविद्यालय रायपुरी

दिनांक

45	76	श्री आकाश वासनीकर, पता- म नं 184, चाई नं-7, रावकुधारा, ग्राम-लजोडा तह-पररागा, जिला- कोण्डगाव (छ.ग.) पिन-494229	SC	शासकीय मुष्कापुत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोण्डगाव
46	79	सुश्री रेखी महेश्वर पता- राडक-31 ब्लॉक-13/सी, सकट-4 फिलाई नगर जिला-दुर्ग मह.टी.पाना सकट-3 (छ.ग.) पिन-490001	SC	शासकीय नवीन महाविद्यालय मनीशरई, जिला-दुर्ग
47	80	सुश्री अल्का भगत, पता- म नं 107/188 प्राची जिला-बंडु लोक पोस्ट-तह- सरगढ जिला-रायगढ (छ.ग.) पिन-494445	ST	शासकीय महाविद्यालय तमनार जिला-रायगढ
48	82	श्री प्रमोद भारती, पता- ग्राम-कोपला (सतनामी बारा) पो -छमना तह- बाला आनं शशीशरई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन- 491223	SC	मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरी बला, जिला-बालंद
49	83	श्री देवेन्द्र कुमार मांजो, पता- ग्राम कंजुर्वी, पोस्ट-सरायपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.)	ST	शासकीय राजा वीरचंद्र बहादुर सिंह महाविद्यालय सरायपाली, जिला-महासमुंद
50	86	श्री शैलेन्द्र, पता- श्री महाकाल ग्राम-मस्तुरी, राजसमनगर सीड गांधीवासा मस्तुरी, पोस्ट-तीरा मस्तुरी, जिला-विक्रमपुर (छ.ग.) पिन-496551	SC	शासकीय वीर सुरेन्द्र सिंह महाविद्यालय पडोजुन, जिला-काकर
51	81	श्री बहादुर नेताम, पता-ग्राम- रुडवासी बाक- जीप गड कमाक-41 गांभी छमाक-3 जिला-राजसमनगर (छ.ग.)	ST	शासकीय राजा वीरचंद्र सिंह महाविद्यालय अलापड जिला-उत्तर छतर काकर
52	93	श्री प्रदीप कांत खरे, पता- कमा नं-4 ए. एस.टी. नं 23 सकट-05 फिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन- 490006	SC	शासकीय महाविद्यालय मानपुरी, जिला-बलार
53	94	श्री गोपी कृष्ण सिंह, पता- 222/2 उपरपारा राजपुर जैजुग, रायगढ (छ.ग.) पिन-496115	ST	शासकीय महाविद्यालय बलापण्ड, जिला-बलार
54	96	सुश्री रेणुका कृजाम, पता- म नं 44 बी चाई -16 ग्राम-बागन+तहसील-अंधारगढ बोली, जिला-राजसमनगर (छ.ग.)	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय राजकाटीह जिला-राजसमनगर

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...

(Signature)
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- 7) ...
- 8) ...
- 9) ...
- 10) ...
- 11) ...
- 12) ...
- 13) ...
- 14) ...
- 15) ...
- 16) ...
- 17) ...
- 18) ...
- 19) ...
- 20) ...
- 21) ...
- 22) ...
- 23) ...
- 24) ...
- 25) ...
- 26) ...
- 27) ...
- 28) ...
- 29) ...
- 30) ...
- 31) ...
- 32) ...
- 33) ...
- 34) ...
- 35) ...
- 36) ...
- 37) ...
- 38) ...
- 39) ...
- 40) ...
- 41) ...
- 42) ...
- 43) ...
- 44) ...
- 45) ...
- 46) ...
- 47) ...
- 48) ...
- 49) ...
- 50) ...
- 51) ...
- 52) ...
- 53) ...
- 54) ...
- 55) ...
- 56) ...
- 57) ...
- 58) ...
- 59) ...
- 60) ...
- 61) ...
- 62) ...
- 63) ...
- 64) ...
- 65) ...
- 66) ...
- 67) ...
- 68) ...
- 69) ...
- 70) ...
- 71) ...
- 72) ...
- 73) ...
- 74) ...
- 75) ...
- 76) ...
- 77) ...
- 78) ...
- 79) ...
- 80) ...
- 81) ...
- 82) ...
- 83) ...
- 84) ...
- 85) ...
- 86) ...
- 87) ...
- 88) ...
- 89) ...
- 90) ...
- 91) ...
- 92) ...
- 93) ...
- 94) ...
- 95) ...
- 96) ...
- 97) ...
- 98) ...
- 99) ...
- 100) ...

...
 ...
 ...

(Signature)
 ...

...
 ...

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// संशोधन आदेश //

07 FEB 2022

नवा रायपुर अटल नगर, दि. 07/02/2022

क्रमांक एफ 1-17/2021/38-1 इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2022 के सरल क्रमांक 07 पर श्री भारतेन्दु भूषण त्रिपाठी को सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) के पद पर शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सुकमा, जिला-सुकमा पदस्थ किया गया है, के स्थान पर शासकीय महाविद्यालय, तमनार, जिला-रायगढ़ में आंशिक संशोधन कर अम्गामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

2/ नियुक्ति की शर्तें समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2022 के अनुसार पूर्ववत् होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1-17/2021/38-1

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपि :-

07 FEB 2022

- 01 अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
- 02 महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
- 03 सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 5385/01/घयन/2020/04, दिनांक 08.03.2021 के संदर्भ में
- 04 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
- 05 आयुक्त, बिलासपुर/बस्तर संभाग, (छ.ग.).
- 06 संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
- 07 संबंधित कलेक्टर,(छ.ग.),
- 08 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/बस्तर संभाग (छ.ग.)

क्रमशः.....

B. B. Pathak

//2//

09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,(छ.ग.),
11. संबंधित समस्त प्राचार्य

आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,

12. संबंधित अभ्यर्थीगण

13. आदेश फौलडर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24/03/2022

क्रमांक एफ 1-36/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 14.07.2021 को सहायक प्राध्यापक (बनस्पति शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (मर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (बनस्पति शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रुपये 57,700/- तथा समय-समय पर दिये नहगई नत्ते सहित 03 वर्ष की परिधीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कोलन-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स.क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01.	02	श्री बालमुकुन्द पटेल, ग्राम जकेला, पो. औरदा, तह. पुसीर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496100	OBC	विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसीर, जिला-रायगढ़
02	03	सुश्री सुनीता जाखड़, कमला सदन, गली क्र. 1 शिक्षक नगर कदर्या, जिला कबीरधाम (छ.ग.) पिन 491995	UR	शासकीय आचार्य रंध श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय कदर्या, जिला-कबीरधाम
03.	04	सुश्री सपना मिश्रा, 107/50 सी जवाहर नगर, धाना नजीराबाद, कानपुर, (उ.प्र.) पिन 208012	UR	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया
04.	05	श्री गुलाब बन्द ग्राम अटंग, अस्पताल पारा, पोस्ट अछांटी, धाना कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)	OBC	शासकीय दन्तेश्वरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर जिला-बस्तर
05	06	श्री विरेन्द्र कुमार, साई कॅम्पे स्टीस के पास प्रीतम नगर बडा अफाक नगर, गुडियारी, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001	OBC	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय धिरमिरी, जिला-कोरिया

निरन्तर -2-

1111

56	89	श्री रमेशकर चौधान, पिन 4626, वार्ड क्र. 41 अलमनदा टावर के समीप काकर अमरगढ, भुवाल टी.टी नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन 492010	SC	शासकीय महाविद्यालय भयाभान, जिला रायपुर
57	90	सुश्री सावित्री सिंह, शिवाच विद्या, पटेलवास, मुन्सूरिवासी, वादे क.प. अमरगढपुर, रायपुर (छ.ग.)	ST	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय उदयपुर, जिला रायपुर
58	92	श्री किशोर कुमार टण्डन, धा. व पो. सुरेगाम, तह. लीपलीहारा, जिला बलौदा, (छ.ग.)	SC	शासकीय नवीन महाविद्यालय अभुन्दा, जिला बलौदा
59	93	श्री जगन्नाथ प्रसाद सूर्यवंशी, द्वारा सी.बी.एस. मण्डलीई, मण्डलीई मकान, स्वामीवाडी चौक, सुपारी, बलीदा, पो. व थाना बलीदा जिला जाजगीर बांधा, (छ.ग.) पिन 495559	SC	शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय अम्बामढ चौकी, जिला-राजनांदगांव
60	95	श्री अजय कुमार चौहान, ब्लॉक 2 ए. एम.वर्धम अपार्टमेंट, मोवर्धमपुर, रायगढ जिला रायगढ (छ.ग.)	SC	शासकीय नवीन महाविद्यालय तामनार, जिला रायगढ
61	97	श्री रोशन कुमार, वार्ड क्र. 13, ग्राम गोपालपुर, पो. जाली (पाली) थाना सीमा, जिला बिलासपुर, (छ.ग.)	SC	शासकीय धीर गेद सिंह महाविद्यालय पखांजूर, जिला-काकर
62	101	सुश्री गमता, एच.आइ.जी 2851, हाउसिंग बोर्ड, कैलाश नगर, गिलाई, बैंक ऑफ बलीदा के पास (छ.ग.) पिन नं. 490026	SC	शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली, जिला-दुर्ग
63	102	सुश्री सुशानू खलखो, एफ 9 स्टॉफ क्वार्टर्स आइजीकेडी कृषक नगर, पुरेना, रायपुर (छ.ग.) पिन 492012	ST	शासकीय महाविद्यालय आरा, जिला-जशपुर
64	103	सुश्री लक्ष्मी सिंह, वार्ड क्र. 4 ग्राम, पो. व तह. शंकरगढ, जिला बलरामपुर (छ.ग.) पिन 497118	ST	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
65	104	सुश्री हर कुमारी, पिता श्री सोनाराम, ग्राम व पो. पिसीद, तह व थाना करडोल, जिला बलोदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) पिन 493335	OBC	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला-बलीदा बाजार भाटापारा

निरस्तार - 8 -

7/11/21

WP(S) 3616/2021 श्री जयंत कुमार रजवाडे एवं 14 अन्य विरुद्ध छ ग शासन एवं 2 अन्य
WP(S) 3714/2021 हेमलाल चंद्राकर विरुद्ध छ ग शासन एवं अन्य WP(S) 3722/2021 ज्ञान
लाल विरुद्ध छ ग शासन एवं 2 अन्य WP(S) 4281/2021 अभिषेक सिंह मंदेल विरुद्ध छ ग
शासन एवं पी.एच. कैंडिडेट वॉटनी WP(S) 3572/2021 कोमल नंदनवार विरुद्ध छ ग शासन
एवं अन्य से समय समय पर पारित अंतरिम आदेश के अनुरार कोर्ड भी नियुक्ति आदेश जका
याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उपर्युक्त याचिकाओं के अलावा साहायक
प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में एवं बनस्पति शास्त्र विषय के संबंध में यदि कोर्ड
याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।
4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आस्थापन नियमों का पालन किया गया
है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
लगा आदेशानुसार
(ए.आर.खान)
अवर सचिव

छगण शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 1-36/2021/38 1.

नया रायपुर अटल नगर दिनांक 24/03/2022

प्रतिलिपि -

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर.
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके आपन क्रमांक 1085/01/नयन/2020/11, दिनांक 20.07.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ ग.
05. समस्त रांगगायुक्त, (छ ग.)
06. संचालक, क्रोथ, लेखा एवं पेशना, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर.
07. संबंधित कलेक्टर, (छ ग.)
08. क्षेत्रीय अपर संचालक, रायपुर/दुर्ग/विलासपुर/सरगुजा/बरतार/ (छ ग.)
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष साहायक, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर.
10. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर, विलासपुर, मुंगेली, कधीरगढ़-कवधा, गरियादह, जाजगीर-चापा, गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, बरतार, कोण्डागाव, काकर, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, धलरामपुर, कोरवा, रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा (छ ग.)

दिनांक 12

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/08/2022

क्रमांक एक 1-27/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 19.06.2021 को सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु घयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सामुख कॉलम-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	घयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01	33	सुश्री श्वेतमाला पैकरा वार्ड-2 देवांगन मोहल्ला प्रतापगंज, सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	ST	शासकीय महाविद्यालय, तमनार, जिला- रायगढ़

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निरस्त

1/3/1
4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.ए.निर्मलकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पु. क्रमांक एफ 1-27/2021/38-1,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/06/2022

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 843/01/चयन/2020/03, दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. संबंधित आयुक्त सभाग, (छ.ग.),
06. संचालक, कौष, लेखा एवं पैशन, इन्द्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित कलेक्टर, (छ.ग.),
08. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, (छ.ग.),
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)
11. संबंधित समस्त प्राचार्य
आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे।
12. संबंधित अभ्यर्थी
13. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

आचरण / अनुशासन

(CONDUCT/DISCIPLINE)



सन्दर्भ : उत्तीर्णार्थ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

सरकारी कर्मचारी अनुशासन में रहें इसीलिए उनके चलन-चर्र आचरण नियम बनाने जरूरी है तथा अलंघन करते पाये जाने की दशा में उचित दण्ड देने की भी प्रावधान प्राक्क नया है।

1. आचरण नियम किन्हे लागू

- (1) उत्तीर्णार्थ गन्ध के सिविल सेवकों और परी पर नियुक्त व्यक्तियों को;
- (2) कानूनीयत तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को;
- (3) स्थायत संस्थाओं में भी आचरण नियम लागू करने के निर्देश हैं।

2. आचरण नियम किन्हे लागू नहीं

- (1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को
- (2) विन्क संवन्ध में राज्यापाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्णय लें।

[नियम 1 (3)]

3. शासकीय सेवकों से अपेक्षा

- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक मर्दव ही
 - (क) पूर्ण रूप से सँजिद रहें;
 - (ख) कर्तव्यपरायण रहें और
 - (ग) ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो कि उसके लिए अयोग्यता है।

[नियम 3]

- (घ) अपने पदवीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करे;
- (ङ) जसला के साथ अपने पदवीय संबन्धवार में या अन्यथा विरलवकती कार्रवाई नहीं अपनाने, और उसे सँघि नये कार्य को निपटाने में बाधाग्रहकर विरलव नहीं करे;
- (च) ऐसा कृत्य नहीं करे जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो;
- (छ) उसे चावँटत शासकीय आवास की वह किराये पर या पट्टे पर नहीं दे अथवा किसी व्यक्ति को आवास के लिए अधिष्ठाण या उपयोग की अनुमति इकनत नहीं दे।

[नियम 3 (क)]

(2) संपूर्ण समय पर शासन की नीतियों का पालन करे

- (क) शिष्टता की आनु का, पर्यावरण के संरक्षण का, नन्य जीवन की सुरक्षा का और संस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसर कार्य करेगा;
- (ख) पहिचानों के विरुद्ध अत्याय के विचारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा।

[नियम 3 (ख)]

- (ग) प्रत्येक सरकारी सेवक भारत सरकार या राज्य सरकार की परिचाय-कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा।

सप्टीकरण-

इस नियम के पनोजन के लिये शासकीय सेवक के ली से अधिक बज्जे होने की अनुमति (misconduct) प्राक्क करेगा, यदि उन्में से एक का नम 26-1-2001 को या उसके बाद हुआ हो।

[नियम 22 का उपनियम (3) तथा (4)]

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध

- (1) कोई भी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा।
 - (ii) प्रत्येक कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्राचारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के उपयुक्त कदम उठावेगा।
- महिला के यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप शामिल हैं-
- (क) शारीरिक सम्पर्क तथा कामुक व्यवहार,
 - (ख) यौन सहजता की प्राण या विवेदन,
 - (ग) कामकाज फवरी,
 - (घ) अश्लील सामग्री दिखाना,
 - (ङ) कामकाज प्रकृति का कोई भी अशिष्ट शारीरिक, शब्दिक या सांकेतिक आचरण।

[नियम 22 का उपनियम (3)]

- (iii) महिलाओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच- जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राक्क हो, जहां प्रत्येक विभागा अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये गठित शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रावजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा नियुक्त किया गया समझा आदेश और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिये शिकायत समिति के लिए कोई प्राक्क शिकायत विवरण नहीं को प्रां है तो शिकायत समिति, जहां तक प्राक्क हो, इन नियमों में अधिकारिण को प्रां प्रकृति के अनुसार जांच करेगी।

Principal

Govt. College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

(4) राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना -

- (1) कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन को राजनीति में भाग लेना हो, का सदस्य नहीं बनाए और न उससे अन्यथा संबंध रखेगा।
- (2) वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यवाही में जो शासन के लिए विघ्नकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विघ्नकारी होने का हो, भाग लेने, उसको महत्वपूर्ण के लिए चर्चा देने या किसी अन्य रीति से सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे। ऐसा करने पर असमर्थ होने पर शासन को इस आशय को रिपोर्ट करे।

- (3) कोई भी सरकारी सेवक किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत खर्च करना न अन्यथा हस्तक्षेप करना न उसके संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, किन्तु ऐसे निर्वाचन में मत दे सकता।

[नियम 5]

(5) प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेना

कोई भी शासकीय सेवक स्वयं को किसी भी प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल या सहायता लेगा और न किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति करेगा।

[नियम 6]

(6) अवकाश पर प्रस्थान

कोई भी शासकीय सेवक चाहे आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व (अर्थात् दशा को छोड़कर) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा।

[नियम 7]

दिपण्डी-कार्य में वनवृद्धकर अनुपस्थित रहना "अवतार दिवस" (Days-off) मानी जाएगी।

। साथ ही शासकीय सेवक का ऐसा कुल अनुशासनहीनता को श्रेणी में माना जायेगा तथा वह अनुशासनिक कार्यवाही का भी भाग हो सकता है।

टीप- इस संबंध में विस्तृत निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 62/1464/1 (3)/79, दिनांक 28-1-1980, क्रमांक सी-3-12/90/3/49, दिनांक 19-7-90, क्रमांक सी-1-6/36/92/3/1, दिनांक 5-9-92 तथा तार क्रमांक सी-6-3/2000/3/708, दिनांक 7-2-2000 देखें।

(7) शासन की आलोचना

कोई भी शासकीय सेवक किसी भी प्रकार, या अन्य भीड़िय प्रसारण अपने नाम से या गुप्तता और पर काल्पित नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र में ही यह किसी सूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति किसी व्यक्तित्व में ऐसा कोई तथ्य या राय प्रकट नहीं करेगा, जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या जाकाकालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करना हो।

[नियम 10]

(8) चर्चा एकत्रित करना

शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार के अक्षेप के लिए चर्चा में या चर्चा के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अक्षेपण मणियां/न स्वीकार करेगा या एकत्रित किचे जाने में स्वयं को अन्यथा संबद्ध करेगा।

[नियम 13]

(9) मादक पदार्थ तथा औषधियों का सेवन

कोई भी शासकीय सेवक किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा, साथ ही किसी मादक पदार्थ या औषधि का अत्युपयोग अति सेवन नहीं करेगा।

“सार्वजनिक स्थान” से आशयित है पूरा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई चालन सम्मिलित है) जिसमें जनता प्रवेश के लिए अनुज्ञात है।

[नियम 23]

(10) अल्पवयु बच्चों को रोजगार में लगाना

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार में नहीं लगायेगा।

[नियम 23 (क)]

(11) प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध

(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन को पूर्व व्योक्ति के बिना, किसी समाचार-पत्र या अन्य निवृत्तकालिक प्रकाशन तथा अन्य कोई मीडिया का पूर्णतः या अंशतः न तो मौखिक बनेगा या उसका संचालन करेगा, न उसके संपादन अथवा प्रकाश में भाग लेगा।



Principal

Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

- (2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या निजीता प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना या अपने कर्तव्यों का मद्भावनापूर्ण निर्वाहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेना और न किसी मसालदार पत्र या पत्रिका में अपने स्वयं के गप से, गुप्तताम तौर पर, कहींवा नाम से लेख देना या कोई पत्र लिखना :
परन्तु ऐसा आडकार्ड या ऐसा लेख विपणन साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का है, तो स्वीकृति अर्थात् प्राप्ति नहीं होगी। [नियम 9]

(12) दहेज का लेन-देन

कोई भी शासकीय सेवक दहेज न तो देना या लेना अथवा उसके देने या लेने के लिए किसी को प्रेरित करेगा अथवा यथास्थिति बंधु या चर के माला-पिला या संरक्षक से दहेज या अन्यथा रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

टिप्पणी - "दहेज" का यहाँ अर्थ होगा जो कि उसके लिए दहेज प्रातिबंध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। [नियम 14 (क)]

(13) दूसरा विवाह

शासन की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये बिना, कोई भी शासकीय सेवक, पहले ही उसको लागू वैधानिक कानून उसको ऐसा करने को रखाजरा देना हो, एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं करेगा।

इसी प्रकार कोई भी महिला शासकीय सेविका, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। [नियम 22]

4. कृत्य जिनके लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं

- (1) किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में अपने पद का प्रयोग करने के लिए। [नियम 5]

- (2) यदि प्रसारण (ब्रॉडकास्ट) या लेख/विद्युत साहित्यिक कलात्मक, या वैज्ञानिक प्रकार का है तो कर सकेगा। [नियम 9]

- (3) अपनी पदावधि हैसियत में या उसे संबंध गये कर्तव्यों के पालन में मीडिया के सामने आना। [नियम 10]

- (4) शासन, संसद या राज्य विधान सभा द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के संपक्ष, या किसी न्यायिक न्याय में अथवा शासन के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय न्याय में साक्ष्य दिया जाना। [नियम 11]

- (5) (क) किसी भी सामाजिक या वैज्ञानिक (सैपरेटिव) प्रकृति के किताब-कलाओं में भाग लेने, या

- (ख) किसी भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के गप-कटा लेने वाले किताब-कलाओं में भाग लेने, या

- (ग) खंड-कट्ट के किताब-कलाओं में अनुपस्थानों के रूप में भाग लेने, या साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्ण संसाधनों या कलाओं या उसी प्रकार के अन्य संसाधनों के टैजस्ट्रीकरण, संग्रहीतन या प्रबंधन में, निरन्तर कि लक्ष्य या उद्देश्य खंडनों/कोडों से संबंधी किताब-कलाओं या सांस्कृतिक अथवा

- अभेद-प्रभेद की प्रकृति से संबंधित हो, में भाग लेने, या

- (ङ) सरकारी सासाधनों को कि सापथूर रूप से शासकीय सेवकों के कार्यों के लिए स्थापित की गई हो (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करने अन्तर्गत न हो) टैजस्ट्रीकरण, संग्रहीतन या प्रबंधन में भाग लेने। [नियम 16 (2)]

5. उपहार स्वीकार करना-

- (1) कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिए अपने कट्टरत्व के किसी सदस्य को या उसकी और से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इसकी इजाजत देगा। [नियम 14 (1)]

- (2) निम्न संघर्षियों से उपहार - विवाह, अन्वयन, अन्वयन या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर धार्मिक उपहार का दिया जाना उचितत धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथा के अनुरूप हो, किया जा सकता है। किन्तु यदि उपहार का मूल्य निम्न सीमा से अधिक है, तो एक माह के भीतर शासन को सूचित किया जाना चाहिए-

- | | |
|---|------------|
| (एक) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में | ₹. 12000/- |
| (दो) तृतीय श्रेणी के मामले में | ₹. 5000/- |
| (तीन) चतुर्थ श्रेणी के मामले में | ₹. 2000/- |

[नियम 14 (2)]

- (3) स्वकीय मिश्रों से उपहार - स्वीकार किये जा सकते हैं, बिल्का कि उनके साथ पदावधि संबंधित न हो, किन्तु एक माह के अन्दर शासन को रिपोर्ट की जाएगी, यदि उपहार का मूल्य अधिक है :-

- | | |
|--|-----------|
| (एक) प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में | ₹. 4000/- |
|--|-----------|

Principal

Govt. College Tamnar
Dist.-Rajgarh (C.G.)

(दो)	द्वितीय श्रेणी के मामले में	₹.	15000/-
(तीन)	चतुर्थ श्रेणी के मामले में	₹.	10000/-

[नियम 14 (3)]

(4) कोई भी शासकीय सेवक अकाउंट नंबर चक्र के माध्यम से विभाज्य ₹. 5000 से अधिक का कोई उपलब्ध खाते में शर्तित नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या कुटुम्ब के किसी सदस्य को जीरो से किसी व्यक्ति को स्विकार करने की अनुमति देगा।

6. जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान संपत्ति :-

[नियम 14 (5)]

- (1) सेवा में प्रथम बार नियुक्त होने पर तथा उसके बाद प्रतिवर्ष 31 दिसंबर तक निम्नलिखित के बारे में :-
- (क) उसके द्वारा दान में प्राप्त की गई, उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित स्थावर संपत्ति का विवरण (Immovable Property);
- (ख) उसके द्वारा दान में प्राप्त या अर्जित प्रकार उसके स्वामित्व के, उसके द्वारा अर्जित या धारित भूजा, भूजा-पत्र या गारंटी, जिसमें बैंक निक्षेप भी सम्मिलित हैं,
- (ग) उसके द्वारा दान में प्राप्त की गई या अर्जित प्रकार उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम संपत्ति;
- (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गये भूजा या अन्य दायित्व।
- (2) **स्थावर संपत्ति (Immovable Property) का क्रय या विक्रय -**
निहित प्राधिकारों को पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, भूजा, विक्रय, दान या अन्यथा न तो अर्जित की जायगी और न उसे प्रत्यान्वित की जा सकेगी।
- पूर्व स्वीकृति लेना कब आवश्यक -** जब ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संबंधित है।

[नियम 19 (2)]

- (3) जंगम संपत्ति (Movable Property) का लेन-देन- लेन-देन की सूचना निहित प्राधिकारों को देना, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारों के मामले में ₹. 10,000/- एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के मामले में ₹. 5,000/- से अधिक है।

पूर्व स्वीकृति कब आवश्यक - जब ऐसा कोई लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संबंधित है।

[नियम 19 (3)]

- आयुक्त- जंगम संपत्ति (Movable Property) में शामिल है -** रत्न, आभूषण (अंकुश) वगैरे धार्मिक/सांस्कृतिक वस्तुएं, जिसका मूल्य 10,000/- से अधिक है। शासकीय सेवकों द्वारा किये गये भूजा और वे प्रतिभूत हैं या न हो। मर्यादा के समस्त साधन, भूकंप-रोधी, रेडियो, रेडियो-कॉम, टी.वी. सेट तथा अन्य विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
- निहित प्राधिकारों से तात्पर्य -** उस विधार्थ को छोड़कर, जबकि कोई नियम प्राधिकारों को प्रयोजन के लिए शासन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया गया :-
- (i) प्रथम श्रेणी के मामले में - राज्य शासन
- (ii) द्वितीय श्रेणी के मामले में - विभागाध्यक्ष
- (iii) तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के मामले में - कानूनपर प्रमुख
- (4) शासन, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के किसी पदवी को नियम 19 के उपलक्षण (4) के उपलक्ष को छोड़कर, इस नियम के उपलक्षणों में से किसी भी उपलक्षण से छूट दे सकता है। ऐसी छूट शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की संमति के बिना नहीं दी जा सकेगी।

[नियम 19 (5)]

परिवार से आग्रह

- (एक) शासकीय सेवक को पत्नी या उसका पाल, चारों बच्चे शासकीय सेवक के साथ रहना/रहना हो अथवा नहीं, किन्तु उसमें स्थितिभंगि ऐसी पत्नी या ऐसा पति शामिल नहीं है, जिसका कि संक्षेप न्यायालय की दिक्री को आदेश द्वारा शासकीय सेवक से अलग हो गया है।
- (दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अल शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिसे आश्रितता में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन कानून द्वारा प्राप्त नहीं है।
- (तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक को पत्नी या उसके पति से चारों बच्चे द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित हो तथा शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

[नियम 3 (ग) निहित सेवा (आवण) नियम, 1965]

7. शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालन करना

उल्लेखित निहित सेवा (आवण) नियम, 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 174/278/एक (तीन)/74, दिनांक 07 मार्च, 1974 एवं क्रमांक सी-5-1/94/3/एक दिनांक 05-01-1994 तथा परिपत्र क्रमांक सी-3-26/2000/3/एक, दिनांक 27-9-2000 में भी निर्देश जारी किये गये हैं।

Pinctbal

Govt. College Tomnar

Distt-Bijgarh (C.G.)

- (2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारों की पूर्व स्वीकृति के बिना या अपने कर्तव्यों का सन्धानपूर्वक निर्वहन करने का विचारित को छोड़कर, न तो कोई अन्य मौखिक प्रस्ताव में भाग लेगा और न किसी सामान्य पर या पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से, गुप्तताम और पर, कर्तव्य नाम से लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा :
परन्तु ऐसा ब्राडकास्ट या ऐसा लेख विशद साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का है, तो स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी। [नियम 9]

(12) दहेज का लेन-देन

कोई भी शासकीय सेवक दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिए किसी को प्रेरित करेगा अथवा यथास्थिति चतुः पा चर के माता-पिता या संरक्षक से दहेज या अन्यथा रूप से किसी दहेज को मांग करेगा।

टिप्पणी - "दहेज" का यहाँ अर्थ होगा जो कि उसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। [नियम 14 (क)]

(13) दूसरा विचार

शासन को पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, कोई भी शासकीय सेवक, भले ही उसको लागू वैधानिक कानून उसको ऐसा करने की इजाजत देता हो, एक पत्नी के लिये दूसरा विचार नहीं करेगा।

इसी प्रकार कोई भी महिला शासकीय सेविका, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। [नियम 22]

4. कल्प विनयेके लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं

(1) किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग करने के लिए। [नियम 5]

(2) यदि प्रस्ताव (ब्राडकास्ट) या लेख/लिखित साहित्यिक कलात्मक, या वैज्ञानिक प्रकार का है तो कर सकेगा। [नियम 9]

(3) अपनी पदावधि समाप्त होने या उसे मीने गये कर्तव्यों के पालन में मीडिया के सम्पर्क में आना। [नियम 10]

(4) शासन, संसद या राज्य विधान सभा द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारों के समक्ष, या किसी व्यक्तिगत कार्य में अथवा शासन के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आदेशित किये गये विभागीय आंच में साक्षात् दिया जाना। [नियम 14]

(5) (क)

किसी भी सामाजिक या धार्मिक (चैरिटेबल) प्रकृति के क्रान्तिकारी कार्य में भाग लेने, या

(ख) किसी भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के पत्र-कागज में भाग लेने, या

(ग) चेत-चूट के क्रान्तिकारी मंच/अभियानों के रूप में भाग लेने, या साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसाइटी या कलात्मक और प्रकृतिक अन्य संगठनों के सदस्यत्व, संयोजन या प्रबंध में, इसके कि लक्ष्य या उद्देश्य धार्मिक/जातिवादी से संबंधित क्रान्तिकारी या सामाजिक अथवा जाति-प्रभेद को प्रकृति से संबंधित हो, में भाग लेने, या

(घ) सहकारी सोसाइटी जो कि सराफा रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हो (जिसमें कोई निर्वाचन पर धारण करना अनिवार्य न हो) संबद्धिकरण, संयोजन या प्रबंध में भाग लेने। [नियम 16 (2)]

5. उपहार स्वीकार करना-

(1) कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिए अपने चतुष्टय के किसी सदस्य को या उसकी और से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इसकी उजागर देगा। [नियम 14 (1)]

(2) निकट संबंधियों से उपहार - विवाह, जन्मदिन, अन्त्येष्टि या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर वैधानिक उपहार का दिया जाना प्रवर्तित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, विना या सकता है। किन्तु यदि उपहार का मूल्य निम्न सीमा से अधिक है, तो एक माह के भीतर शासन को सूचित किया जाना चाहिए-

(एक) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में	₹. 12000/-
(दो) तृतीय श्रेणी के मामले में	₹. 5000/-
(तीन) चतुर्थ श्रेणी के मामले में	₹. 2000/-

[नियम 14 (2)]

(3) शासकीय विभागों से उपहार - स्वीकार किये जा सकते हैं, किन्तु यह कि उनके साथ चतुष्टय संबंधित न हो, किन्तु एक माह के अन्दर शासन को रिपोर्ट की जाएगी, यदि उपहार का मूल्य अधिक है :-

(एक) प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में	₹. 4000/-
--	-----------

Principal

Govt. College Tomnar
Distt.-Raigarh (C.G.)

(द)	पूर्वीय श्रेणी के मापने में	₹.	1500/-
(तीन)	चतुर्थ श्रेणी के मापने में	₹.	1000/-

[नियम 14 (3)]

(4) कोई भी शासकीय सेवक, अकाउंटेंट, टैक्स टैक के माध्यम से किया ₹. 5000 से अधिक का कोई उत्तरदायित्व में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या कुटुम्ब के किसी सदस्य को और से किसी व्यक्ति को स्वीकार करने को अनुरोध देगा।

[नियम 14 (5)]

6. जंगम, स्थान, स्थान और मूल्यवान सम्पत्ति :-

- (1) सेवा में प्रवेश या निर्वासन होने पर तथा उसके बाद प्रतिवार्षिक 31 जनवरी तक निम्नलिखित के बारे में :-
- (क) उसके द्वारा दान में प्राप्त की गई, उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अधिगत की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हुई या कथक पर उसके द्वारा धारित स्थान सम्पत्ति का विवरण (Immovable Property);
- (ख) उसके द्वारा दान में प्राप्त या उसी प्रकार उसके स्वामित्व के, उसके द्वारा अधिगत या धारित अंश, भाग-पत्र या नगरी, निर्यात बैंक विशेष या परिमित है;
- (ग) उसके द्वारा दान में प्राप्त की गई या उसी प्रकार उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अधिगत की गई या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम सम्पत्ति;
- (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गये भूदान या अन्य दस्तावेज।
- [नियम 19 (1)]
- (2) **स्थान सम्पत्ति (Immovable Property) का क्रय या विक्रय -**
 विहित प्राधिकारों को पूर्व जानकारी के बिना न ही खरीद करने का अधिकार है और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से बच्चे, बहन, ब्रह्म, विक्रय, दान या अन्यथा न ही अधिगत की जावनी और न उसे हस्तांतरण की जा सकेगी।
- पूर्व स्वीकृति लेना कब आवश्यक - जब ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ प्रदीय संबंधकार है।
- [नियम 19 (2)]

- (3) जंगम सम्पत्ति (Movable Property) का लेन-देन, लेन-देन की सूचना विहित प्राधिकारों को देना, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारों के मामले में ₹. 10,000/- एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के मामले में ₹. 5,000/- से अधिक है।
- पूर्व स्वीकृति कब आवश्यक - जब ऐसा कोई लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ प्रदीय संबंधकार है।
- [नियम 19 (3)]

Principal
Govt. College Tomnar
Distt. Bolgarh (C.G.)

आचार्य - जंगम सम्पत्ति (Movable Property) में शामिल है - रत्न, गोपूजा (जोड़ी) और धार्मिक/सांस्कृतिक प्रसिद्धि ₹. 10000/- से अधिक है। शासकीय सेवकों द्वारा लिये गये ऋण चार्ज के प्रतिपक्ष हो या न हो। स्वामी के समस्त साधन, बैंक/कॉरपोरेट, बैंड्स, बैंड/शेयर, टी.डी.सी. स्टैंड तथा अन्य निर्यात और एलेक्ट्रॉनिक उपकरण।

विहित प्राधिकारों से ताल्लुक - उस स्थिति को छोड़कर, जबकि कोई निम्न प्राधिकारों किसी प्रयोजन के लिए शासन द्वारा विशेष रूप से अधिगत किया जाय :-

- (1) प्रथम श्रेणी के मामले में - शासन शासन
- (ii) द्वितीय श्रेणी के मामले में - विभागाध्यक्ष
- (iii) तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के मामले में - कार्यालय प्रमुख
- (4) शासन, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के किसी प्रकार की नियम 19 के उपनियम (4) के उपबंध को छोड़कर, इस नियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध से छूट दे सकता है। ऐसी छूट शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहायता के बिना नहीं दी जा सकेगी।
- [नियम 19 (5)]

परिवार से आशय

- (एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, चाहे वह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, किन्तु उसमें वाणिज्यिक ऐसी पत्नी या ऐसा पति शामिल नहीं है, जिसका कि सशस्त्र न्यायालय को डिवाइस आदेश द्वारा शासकीय सेवक से अलगगार हो गया है।
- (दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिसे अभिभावकों में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन बर्तन कर दिया गया है, शामिल नहीं है।
- (तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे एक द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित हो तथा शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।
- [नियम 3 (ग)] परिचित शेष (आचार्य) नियम, 1965]

7. शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालन करना

छोटीसमूह निर्मित सेवा (आचार्य) नियम, 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 174/779/एन (तीन)/74, दिनांक 07 मार्च, 1974 एवं क्रमांक सी-5-1/94/3/एक दिनांक 05-01-1994 तथा परिपत्र क्रमांक सी-3-26/2000/3/एक, दिनांक 27-9-2000 में भी निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) कई शासकीय सेवाओं द्वारा उपरोक्त नियमों/निर्देशों को लागू करने से पहले नहीं किया जा रहा है जो अपरिहार्य है। अतः इस संबंध में पुनः सभी शासकीय सेवाओं को स्थान उपयुक्त अनुदेशों को और आफ्टर फिनाल जाला है तथा अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवाक अपने अपने संपर्कित का निवृत्त, विहित प्रपत्र में सूक्ष्म प्राधिकारों को प्रतिबन्ध 21 नवम्बर के पूर्व प्रस्तुत करेंगे। किन्तु शासकीय सेवाक द्वारा समय पर अवल संपर्कित का निवृत्त प्रस्तुत न किए जाने पर उसे पेश्वरता से लिया जायेगा। विभाग/कार्यालय में नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों को भी यह व्यक्तिगत निर्मादरता होगी कि वह यह देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी अपना अवकाश स्वीकार निवृत्त यथासमय प्रस्तुत कर रहे हैं।

3. चल-अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवण) नियम, 1965 के नियम क्रमांक 19 में थोड़ा माप्ट किया है। अतः चल-अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय और भवन निर्माण कार्य आदि के बारे में थोड़ा नियम 19 के प्रावधानों तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में दिने निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

[साप्ताहिक प्रशासन विभाग क्र. एफ 11-1/2009/1-3, दिनांक 8-9-2009]

8. शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से गैर हार्जिनी अवधि के संबंध में शासन के निर्देश शासन ने इसे पेश्वरता से लिया है तथा निर्दिष्ट किया है कि

(क) शासकीय सेवाओं के एक प्रकार के कूल हर्जिनीमाह सिविल सेवा (आवण) नियम, 1965 के अनुसार कदावर्ण (misconduct) की शर्तों में आते हैं। ऐसे कृत्य किये जाने पर वे अनुशासनानुसक कार्रवाई के भागी होंगे-

(1) बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का खेतन देय नहीं होगा, न ही इस प्रकार अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश मंजूर किया जायेगा। इस अवधि की 'डेक-इन-सर्विस' माना जायेगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवाओं द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किये जाएं तो ऐसी जो अनुशासनीयता करने वाली के विरुद्ध गुण-दोषों के आधार पर अनुशासनानुसक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकते हैं।

(ख) इसमें यदि कुछ भिन्नता देना हो, किन्तु कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अधिचलपूर्ण आधार विद्यमान हो तो ऐसी भिन्नता देने के प्रस्ताव करण दर्याही हुए निष्ठागत्यवशों द्वारा शासन के विचार हेतु भेजा जा सकता है।

[साप्ताहिक प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 2-3/1/9/2006, दिनांक 10-4-2006]


Principal
Govt. College Tannor
Distt. Raigarh (C.G.)



अध्याय - 1

सेवा की सामान्य शर्तें

(GENERAL CONDITIONS OF SERVICE)

1. संपूर्ण समय शासन के अधीन

जब तक किसी प्रकार में अथवा अवकाश न हो, शासकीय सेवक का संपूर्ण समय शासन के अधीन है जो उसे भुगतान करता है। सश्रम प्राधिकारी शासकीय सेवक को बरतें अनिश्चित पारिश्रमिक दिए किसी भी प्रकार से नियंत्रित कर सकता है।

[मूल नियम 11]

2. धारणाधिकार (Lien)

जब किसी शासकीय सेवक को किसी खाई पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए, तब ही वह उस पद पर धारणाधिकार (Lien) अर्जित करेगा और किसी अन्य पद पर पूर्व अर्जित उसका धारणाधिकार है तो वह समाप्त मजबूत अवकाश।

[मूल नियम 12-ए]

3. धारणाधिकार का प्रतिधारण (Retention of Lien)

(1) जब तक वह उस पद पर कार्यरत रहे;

(2) विदेश सेवा के दौरान या अस्थायी पद पर नियुक्त होने की अवधि तक या किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रहने के दौरान,

(3) अन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्यभारण अवधि के दौरान। यदि उसका स्थानान्तरण मौलिक रूप से निचले पद पर किया जाता है तो कार्य मूक्त होने के दिनांक से ही उसका धारणाधिकार निचले पद पर स्थानान्तरित हो जाएगा;

(4) अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि के पर्याप्त स्वीकृत अस्वीकृत अवकाश को छोड़कर, अवकाश काल में;

(5) निरंतर अवधि के दौरान।

[मूल नियम 13]

4. कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण

अधोचारा या कटौतकरण के कारण अथवा शासकीय सेवक की लिखित सहायता के सिवाय, किसी भी शासकीय सेवक को एक पद से दूसरे पद पर मौलिक रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है अथवा मूल नियम 49 द्वारा अनुमोदित मामलों के सिवाय, स्वयं पद के वेतन से कम वेतन वाले पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा मूल नियम 14 के अधीन उसका धारणाधिकार निरंतर नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार कायम रहता, स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

[मूल नियम 15]

अन्य: उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि कटौतकरण के कारण या उसकी लिखित सहायता पर निचले पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

Principal

Govt. College Tannar
Distt. Ramanath (C.G.)

5. लगातार अनुसंधान का प्रभाव :-

जब तक कि राज्यपाल मामले को विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्यथा निश्चित न करे पूरा नियम 18 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवनियम मंजूर नहीं किया जाएगा।

6. परिवीक्षा काल की समाप्ति पर कार्यवाही

सौधी भारत से नियुक्त जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखा जाए तो नियमित परिवीक्षा काल की समाप्ति पर यदि उसने परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है तथा विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेता है तो, उसे स्थाई कर देना चाहिए। यदि स्थाई पर उल्लेख नहीं है तो, उसके पक्ष में इस आधार का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि स्थाई पर उल्लेख नहीं है, जैसे ही कोई स्थाई पर उल्लेख होगा उसे स्थाई सीमित कर दिया जाएगा। इससे उसके केतन बुद्धियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। अन्यथा तब तक केतन बुद्धियां रुकी रहेंगी। यदि स्थाईकरण नहीं किया गया है, तथा उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है तो, परिवीक्षा काल की समाप्ति पर उसको अस्थायी नियुक्त मान लिया जाएगा तथा 'अस्थायी सेवा' अर्थात् सेवा अर्थात् सेवा नियम, 1960 'से शासित होंगी।

7. वरिष्ठता का विचारण

(1) सौधी भर्ती/पदेनत व्यक्तियों की वरिष्ठता- (क) नियमों के अनुसार किसी पर पर सौधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पर-शुण की तरीख का विचार किया उत योयता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी विसर्से नियुक्ति के लिये उसकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त व्यक्ति पर चरितरती चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त व्यक्ति से चरिष्ठ होंगे।

(ख) जहां पदेनतिय किसी विभागीय पदेनतिय सीमिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। तो इस प्रकार पदेनत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होंगी, जिस क्रम में सीमिति द्वारा इस प्रकार पदेनत करने के लिये उनकी सिफारिश की है।

(ग) जहां पदेनतियां अनुसुक्त व्यक्तियों को अस्थायी (रि-कॉमन) के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो उसी समय पदेनतिय के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता बरती होगी, वैसी कि उस नियम संवर्त में सापेक्ष वरिष्ठता के है, विससे उनकी पदेनतिय की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदेनतिय के लिये अनुसुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदेनतिय किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्त में अवधारित नहीं की जायेगी, विससे उसे अधिक्रमित किया था।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदेनतिय सीमिति द्वारा जारी किया गया है या अन्य कारणों से ठीका गया किन्तु बाद में उससे उच्चतर से पदेनतिय के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तरीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदेनतिय किया गया था, चयन सूची में उससे कृत्काल कनिष्ठ व्यक्ति को पदेनतिय की तरीख से या उस तरीख, से जिस तरीख को वह विभागीय पदेनतिय सीमिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) सौधे भर्ती करने पर तब पदेनतिय करने गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदेनतिय आदेश जारी करने की तरीख के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे चरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व श्रेष्ठ के आधार पर नियुक्त/पदेनतिय किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित परिधकारी द्वारा तैयार की गई योयता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सौधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदेनत व्यक्त को सीमिति कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति परिधकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे चरिष्ठता दी जानी चाहिए वैसी कि उनको प्रदान की गई हो, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण को सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता था क्या उसे नियम वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(छ) यदि सौधी भर्ती पदेनतिय के आदेश एक ही तरीख की जारी होते हैं तो पदेनत व्यक्तिसमूहिक रूप से (इतल्यक) सौधी भर्ती करने गये व्यक्ति से चरिष्ठ माने जायेगी।

(2) स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता- (क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानांतरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सौधी भर्ती या पदेनतिय द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों को अनुसुक्त होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिये उपर्युक्त भर्ती नियमों में उपर्युक्त को अनुसार नियुक्त किया गया हो, जहां ऐसा स्थानांतरित व्यक्ति यथास्थिति सौधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदेनत व्यक्त के साथ समुहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चर्चागत सभी सौधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदेनत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग)

ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आगम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे तब तक ही तब तक हो सकते हैं, जो प्रतिनिधित्व (अर्थात्, जहाँ संभव है) नियमों में " प्रतिनिधित्व" पर स्थानान्तरण/समावేశ" को व्यक्त करता है। नियमों में, ऐसे संदर्भों में निम्नलिखित संज्ञासूची के साथ किया गया है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इसके संश्लेषण की तादीख की जावेगी। तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में निर्धारित आधार पर उसी या समकक्ष संदर्भ में पहले से ही (संबंधित) की तारीख को) पर ध्यान कर रहा हो तो संदर्भ में ऐसी निर्धारित सेवा को भी उसकी व्याख्या का निर्धारण करते समय इस बात के अन्वयार्थ ध्यान रखा जावेगा कि उसे उस तारीख से परिचया दी जायेगी, जिसकी वह प्रतिनिधित्व पर पर ध्यान कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संदर्भ में निर्धारित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था।

साप्टिकरण-

स्थानिक उद्योग नियम के अनुसार स्थानान्तरण व्यक्त को परिचय के निर्धारण की ऐसे सांकेतिक की तारीख से पूर्व किसे भये अथवा उच्च संदर्भ (चक्र) में किसी निर्धारित व्योक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह कबल ऐसे सांकेतिक के परवाह उच्च संदर्भ में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

(3) विशेष प्रकार के मामलों में परिचय -

- (क) ऐसे मामले में, जहाँ निम्न सेवा, संदर्भ या पर न कहीं भी शामिल शासकीय संकेत पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कहीं भी निम्नलिखित अन्वय के लिये हो तथा यह भव्य केतन/द्वारों को स्थानिक करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवा की परिचय अब तक कि शासिका के अन्वय की शर्त अन्वया उपरोक्त न केवल की परिचय अब तक कि शासिका के अन्वय की शर्त अन्वया उपरोक्त न करती हो, उच्च सेवा, संदर्भ या पर अथवा उच्च संस्थापन में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकती जहाँ कि इसकी कहीं भी किसे ज्ञान की रिक्ति में की गई होगी।
- (ख) ऐसे मामलों में कहीं भी, किसी संश्लेषण अन्वय के लिये की जानी है तथा यहाँ केतन/द्वारों को स्थानिक करने के लिये की जानी हो, तब पूर्वनिर्धारित के संबंध में शासकीय कर्मचारी की परिचय अब तक कि शासिका के अन्वय की शर्त अन्वया उपरोक्त न करती हो, उच्च सेवा, संदर्भ या पर अथवा उच्च संस्थापन केतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अन्वय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती।
- (ग) नये कार्यलय में अन्वय कर्मचारी, उनकी परिचय के प्रदान के लिये पूर्व परिचय में की गई रिक्ति सेवा के साथ के इन्टर कहीं होने तथा ऐसे कर्मचारी, जहाँ परिचय के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(घ)

जब किसी कार्यालय में, किसी संदर्भ के दो या दो से अधिक अधिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संदर्भ में संविधान के लिये अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक परिचय नहीं रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में था, परन्तु यह कि -

(एक) इन तारीखों में उस संदर्भ में किसी व्यक्ति को सीधे धरों के लिये न चुन पाया हो तथा

(दो) इन तारीखों में उस संदर्भ में किसी व्योक्त का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो।

(4) तदर्थ कर्मचारियों की परिचय-

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के निर्धारित दिनांक जहाँ तक, कोई परिचय नहीं दी जायेगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में निर्धारित किसे ज्ञान तक लगातार पर पर बना रहता है तो उसकी परिचय के निर्धारण के लिये, स्थानान्तरण सेवा की अन्वय की प्रदान की जायेगी।

[नियम 12]


विषय-बस्तार एवं सरयुता संभाग के जिलों में नृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों की परिचय निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012.

उपरोक्त विवरण संबंधित अधिसूचना के अनुसार बस्तार एवं सरयुता संभाग के अन्वय जिलों के स्थानीय निवासियों को संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में किता संदर्भ के संबंध परती के द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर धरती होगी।

2. उक्त प्रवचन की सरता (Facilitate) करने के लिए कुछ विभागों के उच्च संदर्भ को किता संदर्भ में परिवर्तित या किया गया है। किता संदर्भ में नियुक्ति कर्मचारी का स्थानान्तरण स्थानान्तरण अन्वय जिलों में नहीं किया जा सकता है।

3. इस संबंध में शासन द्वारा यह साप्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 जारी होने के पूर्व से ही विभिन्न जिलों में कार्यालय कर्मचारियों की संस्थापन परिचय पूर्ण, प्रवर्तित प्रवचनों के अनुसार पूर्व के जिलों में ही संबंधित की जाएगी एवं नती परिचय के आधार पर परिवर्तन में उनकी पदोन्नति भी होगी तथा प्रशासकीय आधार पर उनका अंतर-किता स्थानान्तरण भी हो सकता। किता उक्त अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 जारी होने के परवाह एवं परिचय


Principal
Govt. College Tamnar
Dis.-Raigarh (C.G.)

में अन्य संघों के तिलों से स्थानान्तरित होकर बस्तर एवं सूरजगढ़ संघों के तिलों में पदस्थ होने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता स्थानान्तरित हुए तिलों में उनके संवर्गों में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के ठीक जैसे निर्धारित होगी तथा उनके मामले में अंतरिक्षता स्थानान्तरण प्रतिक्रिया करने संबंधी बस्तर निर्देश लागू होंगे।

4. उत्प्रेरक निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एक 1-1/2012/1-3, दिनांक 21-5-2013]

8. शासकीय सेवकों का स्थायीकरण

(अ) सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों के मामले में - जिन व्यक्तियों को विभागीय परीक्षाओं के अनुसार परीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उन्हें मंत्रिस्तरीय सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार परीक्षाकाल की समाप्ति पर स्थायी किया जाना अनिवार्य है। परीक्षाकाल की समाप्ति पर उपयुक्त पदों वाले पर, परीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायीकरण के आदेश निकालना चाहिए। यदि स्थायी पद उपलब्ध नहीं हो तो उसके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और उन्हें स्थायी पद के अधिाग में स्थान देने के आदेश नहीं निकालने जा सकते। परिणाम में जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा जैसे ही उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा ही दिया जाएगा।

(ब) पूर्व से किसी अन्य पद पर स्थायी शासकीय सेवक के मामले में - कोई व्यक्ति जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधा भरती, पदेनर्तित या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिरूपित करने के लिए सामान्यतः दो वर्षों के लिए परीक्षा पर स्थापना नैसर्गिक में नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा की अवधि समाप्त होने पर उसे स्थायी किया जाएगा। परंतु यदि स्थायी पद उपलब्ध नहीं है तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि "स्थानान्तरण शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया है। किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा।"

(ग) स्थायीकरण के लिए सुनिश्चित - पदेनर्तित से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकारों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आणन क्रमांक 2501/2190/86 (एक)/1, दिनांक 24-9-86 में निर्देश दिये गये हैं। इसमें बनी प्रक्रिया अपवादों के अतिरिक्त जो शीक सेवा अर्थशास्त्री या विभागीय पदेनर्तित में अस्वीकार्य होती है।

Govt. College Tomnar
Distt Raigarh (C.G.)

Principal

(2) गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन - इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/4/83/3/1, दिनांक 2-7-83 में दिये गये हैं। इसके अनुसार स्थायीकरण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के पदोन्नतियों, उत्प्रेरक निर्देशों की जाकर मूल्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

(3) लोक सेवा आयोग की सिफ्टरिज कर्तव्य अवधारणक है - जो नियुक्तियों लोक सेवा आयोग के परामर्श से परीक्षा पर की जाती हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी मामलों में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है। पदेनर्तित के मामले में भी जहाँ आयोग के परामर्श द्वारा परीक्षा पर रखा गया है, उन्हें छोड़कर, अन्य शेष सभी मामलों में आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[सामान्य प्रशासन विभाग आणन क्रमांक सी-3-10/92/एक दिनांक 16-3-92 तथा समय-समय पर जारी परिपत्र]

9. राज्य विभाजन के फलस्वरूप आपसी अदला-बदली के आधार पर केंद्र शासन के अतिम आवंटन में छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता का विवरण

केंद्र शासन के अधिन आक्टन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता का विवरण केंद्र शासन के अतिम आवंटन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों में कुछ अधिकारी/कर्मचारियों आपसी अदला-बदली कर छत्तीसगढ़ राज्य आवे हैं। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कतिपय विधियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त गया।

इस संबंध में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आपसी अदला-बदली के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो एक ही संवर्ग तथा एक ही विभाग के हों, के छत्तीसगढ़ आने पर उनकी वरिष्ठता मूल संवर्ग में जो वरिष्ठता रही थी उसी अनुसार ही रहेगी, किंसा कि केंद्र शासन के अतिम आवंटन आदेशों के संलग्न सूचियों में भी दर्शायी गई है।

यदि आपसी अदला-बदली अलग-अलग संवर्गों के शासकीय सेवकों को हुई हो तो केंद्र सरकार के अतिम रूप से आवंटन आदेश से आवे शासकीय सेवकों की नये संवर्ग में वरिष्ठता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 (दिनांक 2-4-86 को संशोधित) के नियम 12 अनुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात् इस प्रकार की अदला-बदली से आवे शासकीय सेवक नये संवर्ग में दिनांक 1-11-2000 की वरिष्ठता सूची में कतिपय गाने जाएंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एक-1-3/1-7/2003, दिनांक 1-1-2004]

Principal

Govt. College Tomnar
Distt Raigarh (C.G.)